भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या1004

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

आदिलाबाद, करीमनगर और वारंगल को नक्सल-प्रभावित जिले घोषित किया जाना

1004. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने तेलंगाना के आदिलाबाद, करीमनगर और वारंगल को नक्सल-प्रभावित जिलों के रुप में घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रस्ताव भेजे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय ने उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): आदिलाबाद, करीमनगर और वारंगल सहित तेलंगाना के आठ जिले, वामपंथी उग्रवादी-रोधी अभियानों पर राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य हेतु वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अधीन पहले से ही शामिल हैं। तेलंगाना के खम्माम जिले सहित ये तीन जिले प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही 'वामपंथी' उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए), नामक योजना के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं।

(ग) और (घ): इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।